- **टी एच हेक्सले** ने इसे **शेर का अधिकार** (Tiger's Right) कहा है|
- **डेनिंग** "हॉब्स का मत है कि प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त उस स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सभी संभव कार्य करने का अधिकार देती है|"

- Note- **आत्मरक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार हॉब्स ने ह्यूगो ग्रोशियस** से लिया है| ह्यूगो ग्रोशियस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'The Law of War and Peace' (1625) में कहा है कि सभी व्यक्तियों को सुरक्षा का अधिकार है

  Note- हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार **संघर्ष, हिंसा, अव्यवस्था, अराजकता** को जन्म देते हैं|

प्राकृतिक नियम संबंधी हॉब्स के विचार-

- प्राकृतिक अवस्था में सभी का जीवन असुरक्षित हो जाता है, अतः सुरक्षा के लिए **तर्कबुद्धि और विवेक** से मनुष्य कुछ नियम बना लेते हैं, जिनका पालन करके मनुष्य शांति व सुखपूर्वक प्राकृतिक अवस्था में भी रह सकता है| हॉब्स ने इन प्राकृतिक नियमों को '**शांति की धाराओं**' (Article of Peace) का नाम दिया है| हॉब्स ने कुल **19 प्राकृतिक नियम** बताए हैं|
- **इनमें से तीन नियम प्रमुख हैं, जो निम्न है**-
  1. प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य शांति स्थापित करना है, अतः मनुष्य को तब तक शांति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए जब तक युद्ध सर्वथा अनिवार्य न हो जाए|
  2. सभी मनुष्य मिलजुल कर अपने प्राकृतिक अधिकार का त्याग करने को तैयार रहें|
  3. मनुष्य अपने आपसी समझौतों का पालन करें तथा अपना उपकार करने वालों का उपकार करें|

- ग्रोशियस के समान हॉब्स का कहना था कि **प्राकृतिक नियम उचित नियम होते हैं और वे ईश्वर की भाषा** में पेश किए जाते हैं|
- **हॉब्स के अनुसार** "प्राकृतिक कानून मनुष्य की विवेक बुद्धि या तर्क बुद्धि से खोजे गए वे नियम है, जिसके द्वारा मनुष्य के वे कार्य निषिद्ध हैं जो उनके जीवन के लिए विनाशप्रद है|"
- **प्राकृतिक नियमों का आधार स्वार्थ है|**
- शांति की 19 धाराओं को थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक कानून की संज्ञा दी है|

- Note- प्राकृतिक नियमों को कानून केवल अलंकारिक भाषा में ही कहा जा सकता है, लेकिन यह कानून नहीं है क्योंकि कानून तो संप्रभु की आज्ञा होते हैं तथा उल्लंघन पर दंड दिया जाता है|

हॉब्स के राज्य संबंधी विचार-

- हॉब्स राज्य की उत्पत्ति **सामाजिक समझौते** के परिणामस्वरुप बताता है, अतः राज्य कृत्रिम संस्था है|
- राज्य की स्थापना का वर्णन हॉब्स **लेवियाथन के 18वे अध्याय** में करता है|

समझौते का कारण-

- समझौते का कारण **प्राकृतिक अवस्था का भयपूर्ण माहौल** था, जिसमें हमेशा **मृत्यु का भय** था| ऐसी अवस्था में मनुष्य अपने **विवेक व तर्क बुद्धि** से एक सामाजिक समझौता करता है|
- यह समझौता **व्यक्तियों के बीच** में आपस में हुआ, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से यह कहा कि "मैं इस व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार और शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूं कि तुम भी अपने इस अधिकार को इसी तरह इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को समर्पित कर दो|"
- **इबेन्सटीन** ने कहा है कि "हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच हुआ है, संप्रभु समझौते का भागीदार नहीं है, वह तो उसकी उत्पत्ति है|

समझौते का परिणाम-

- समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण मानव समुदाय एक **कृत्रिम व्यक्ति** में संयुक्त हो जाता है, जिसे हॉब्स **कॉमनवेल्थ (राज्य)** कहता है| लेटिन भाषा में इसको **सिविटास** कहते हैं|
- समझौते के द्वारा व्यक्तियों ने सभी अधिकार एक व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा को सौंप दिए, उस व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा को हॉब्स **लेवियाथन (महान मानव देव)** कहता है| लेवियाथन एक संपूर्ण **प्रभुत्व संपन्न, निरंकुश** है तथा उसके पास **असीमित अधिकार** है|

हॉब्स के समझौते सिद्धांत की विशेषताएं–

1. समझौता एक साथ **सामाजिक व राजनीतिक** दोनों है| अर्थात समझौते से **समाज व राज्य दोनों का निर्माण होता है|**
2. समझौता **केवल एक पक्षीय** था, जो केवल व्यक्तियों के मध्य आपस में हुआ था| संप्रभु और व्यक्तियों के मध्य में नहीं हुआ था|
3. समझौते में संप्रभु के शामिल न होने पर उसको **असीमित शक्ति व अधिकार** प्राप्त हो जाते हैं| वह निरंकुश व बंधन रहित होता है| **संप्रभु का केवल एक कर्तव्य** होता है, वह है- नागरिकों के जीवन की रक्षा करना, इसके अलावा उसका कोई कर्तव्य नहीं है|
4. समझौते में शामिल न होने वाले व्यक्ति पर भी यह लागू होता है|
5. समझौते के बाद व्यक्ति के पास कोई भी प्राकृतिक अधिकार नहीं रहता है| केवल एक प्राकृतिक अधिकार **जीवन की सुरक्षा का अधिकार** शेष रहता है|
6. समझौते के बाद उससे कोई अलग नहीं हो सकता है अर्थात **समझौता स्थायी** है| **समझौते से अलग होने का अर्थ है- वापस प्राकृतिक अवस्था में जाना|**
7. समझौते से **अविभाज्य संप्रभुता की स्थापना** होती है, अर्थात संप्रभु एक है, चाहे वह एक व्यक्ति है या व्यक्तियों की सभा|
8. **विधियों का स्रोत प्रभुसत्ता है**, उसके आदेश ही विधि या नियम है|
9. **न्याय करने का, युद्ध व संधि करने का, अधिकारियों को चुनने का अधिकार** प्रभुसत्ता के पास है|
10. संप्रभु समझौते का कोई पक्ष न होकर स्वयं उसका परिणाम है|
11. समझौते के बाद लोगों की इच्छाएं, संप्रभु की इच्छा होती है|
12. हॉब्स का सामाजिक समझौता **दार्शनिक सत्य** है अर्थात यह सैद्धांतिक व तार्किक तो है, परंतु **ऐतिहासिक व वास्तविक नहीं** है| इतिहास के किसी भी भाग में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है|
13. हॉब्स के सामाजिक समझौते के विचार में **सहमति का सिद्धांत** निहित है, क्योंकि मनुष्यों ने राज्य को आपसी समझौते से बनाया है| हॉब्स के शब्दों में **"राज्य शक्ति सहमति पर आधारित है|" हैकर** "हॉब्स के सामाजिक समझौते के विचार में **सहमति का सिद्धांत** निहित है|"